राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1378/2011
भीमराज बड़ोदिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, मनरेगा, जयपुर।
2. निदेशक, सोसियल ऑडिट, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर सह जिला कार्यक्रम समंवयक, उदयपुर।
4. विकास अधिकारी सह परियोजना अधिकारी, मनरेगा, पंचायत समिति, खेरवाडा, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.04.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 30.05.2011 जारी किया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि नरेगा योजना की जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने के कारण वसूली की कार्यवाही की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी जो तत्समय वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था, उससे 73392/–रूपये वसूली के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने नोटिस दिनांक 21.09.2011 जारी किया, जिसमें माना कि दिनांक 01.04.2008 से 31.12.2010 तक नरेगा योजनान्तर्गत किये गये/करवाये गये कार्य एवं व्यय की विशेष जांच प्रतिवेदन के अनुसार 506566/– रूपये के अनियमित भुगतान की वसूली अपीलार्थी एवं अन्य से किया जाना माना है। अपीलार्थी ने इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी से वसूली के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत जायरा में के दिनांक 01.04.2008 से 31.12.2010 तक हुए निर्माण कार्यों क की विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति मे ही सम्पन्न हुई है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन कि नैचूरल जस्टिस का वायलेसन किया गया जो पुर्णतया गलत और कपोलकल्पित है। कानून किसी भी कार्मिक को पदीय अनियमितता और पदीय दुरूपयोग की इजाजत नही देता है। अपीलार्थी ने पदीय दुरुपयोग कर राज्य के राजकोष को वित्तिय क्षति पहुंचाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो की घोर अवहेलना कर अनियमितताएं कारित किये जाने के कारण विशेष जांच–सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित वसुली के संबंध में दिनांक 30.05.2011 तथा दिनांक 21.09.2011 को वसुली नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस बिना किसी दुर्भावना और दबाव के पारित किया गया है, जो पुर्णतया विधिक होने से तथा अपीलार्थी की उक्त अपील सारहीन तथ्यो पर आधारित और पोषणनीय नही होने से मय कोस्ट मय स्थगन आदेश के काबिल निरस्त योग्य है, जिसे निरस्त फरमाने का हुक्म प्रदान करावे।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया।
5. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।
6. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उसकी जांच के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये।

8. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)